न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–22 / 2024
GCMS NO:- 2024/143

दायर दिनांकः 09.07.2024
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती प्रीति मीणा

शोदान उर्फ शिवदान गुर्जर आ0 मोडू जाति गुर्जर नि0 दुगारी हाल निवासी 26, चन्द्रपुरी कॉलानी, मुसा खेडी इन्दौर (म0प्र0)।

–प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीया की ओर से वकील श्री हसन मियां।

निर्णय दिनांक 16.05.2025

–निर्णय–

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम दौलतपुरा प0म0 दुगारी तहसील नैनवॉ की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 117 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 4817 / 1159 रकबा 0.8090 हैक्टयर स्थित है जिसको प्रार्थी ने अपने पिता के साथ नोतोड फाड के आबाद की थी। प्रार्थी बालिग होने पर अकेला तन्हा उक्त भूमिप र काबिज होकर काश्त करने लगा तथा लगातार प्रार्थी का तन्हा कब्जा काश्त होने से प्रार्थी के नाम आवंटित होकर प्रार्थी का नाम उक्त भूमि पर बतौर खातेदार दर्ज चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थी एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसको नाम का सही उच्चारण नही होने से राजस्व कर्मचारियों द्वारा गांव मे नाम पुछने पर प्रार्थी का सही नाम शिवदान गुर्जर के स्थान पर शोदान जो बोल चाल मे गांव वाले कहते थे, वही बताने से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक व समस्त सरकारी दस्तावेजों मे शिवदान गुर्जर ही है। जानकारी मिलने पर जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को इन्द्राज दुरूस्त करवाने हेतु आवेदन किया तो उन्होने इन्द्राज दुरूस्त करने से साफ मना कर दिया, यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की भूमिं के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित गलत नाम शोदान के स्थान पर शोदान उर्फ श्योदान गुर्जर दर्ज करवाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवां ने पत्रांक / भु0अ0 / 25 / 1590 दिनांक 21.4.2025 द्वारा जवाब / रिपोर्ट पेश कर बताया कि पटवारी हल्का दुगारी की रिपोर्ट अनुसार शिवदान पुत्र मोडूलाल जाति गुर्जर नि0 दौलतपुरा व शोदान पुत्र मोडूलाल जाति गुर्जर नि. दौलतपुरा दो अलग–अलग व्यक्ति ना होकर दोनों एक ही व्यक्ति है। शोदान के स्थान पर शोदान उर्फ शिवदान गुर्जर किया जाने के संबंध मे तहसीलदार नैनवॉ द्वारा मय अभिशंषा रिपोर्ट पेश की।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम शोदान दर्ज हो रहा है जो गलत दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, सरकारी दस्तावेजों व अन्य सभी दस्तावेजों में शिवदान गुर्जर ही दर्ज है जिसको राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित गलत नाम शोदान के स्थान पर संशोधन करवाकर सही नाम शिवदान गुर्जर दर्ज करवाने का निवेदन किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत जवाब/रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली मे संलग्न प्रार्थी के आधार कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार में प्रार्थी का नाम शिवदान गुर्जर अंकित है तथा राजस्व रिकॉर्ड मे शोदान अंकित है जिसके संबंध मे तहसीलदार नैनवॉ द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाकर शोदान के स्थान पर शोदान उर्फ शिवदान करने की अभिशंषा की है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम दौलतपुरा प0म0 दुगारी तहसील नैनवॉ की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 117 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 4817/1159 में दर्ज "शोदान' के स्थान पर "शोदान उर्फ शिवदान" शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ